कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड (म0प्र0)

//कार्यालयीन आदेश//

कमांक–48/सां.लि./2024 भिण्ड, दिनांक :–16/04/2024

यह आदेश मेरे अवकाश पर होने या मुख्यालय से बाहर होने या शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन अवकाश पर होने अथवा अन्य किसी भी कारणवश उपस्थित न हो पाने की दशा में लागू होगा।

यह आदेश मात्र जमानत आवेदनपत्रों के संबंध में ही प्रभावी रहेगा।

01. किसी अभियुक्त अथवा सहअभियुक्त का जमानत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 438 अथवा 439 द.प्र.सं. किन्ही विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया गया हो अथवा निराकरण हेतु लंबित हो, तो ऐसी दशा में पश्चात्वर्ती कम में उसी अपराध कमांक में उस अभियुक्त अथवा सहअभियुक्त का जमानत आवेदनपत्र उन्ही विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय को स्वमेव अंतरित मानाजावेगा।

02. यदि पूर्ववर्ती आवेदनपत्र विभिन्न अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा किसी अपराध कमांक विशेष में निराकृत किये गये हो, तो उससे संबंधित अन्य सहअभियुक्त के जमानत आवेदनपत्र उन अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया जावेगा, जिन्होंने कि सबसे अंत का (नवीनतम) जमानत आवेदनपत्र संबंधित अपराध कमांक के सहअभियुक्त का निराकृत किया हो अथवा उक्त न्यायालय में लंबित हो।

03. यदि पूर्ववर्ती जमानत आवेदनपत्र इसी पदस्थापना पर किन्ही अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश द्वारा किसी अपराध कमांक विशेष में, सहअभियुक्त के या प्रथम जमानत आवेदनपत्र निराकृत किये गये हो तथा उनकी पदस्थापना इसी स्थापना पर अन्य विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश के रूप में होने पर पश्चात्वर्तीय जमानत आवेदनपत्र उनके द्वारा निराकरण किये जावेंगे।

04. सत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले प्रतिभूति आवेदन–पत्र जो कि पॉक्सो अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट, विद्युत अधिनियम, आर्थिक अपराध, अ.जा./अ.ज.जा., (ओ.एस.डब्ल्यू.) मध्यप्रदेश निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम एवं अन्य अधिसूचित न्यायालयों/विशेष न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से संबंधित हो, तो उक्त प्रतिभूति आवेदन–पत्र संबंधित विशेष न्यायालयों को स्वमेव अंतरित होना माने जावेंगे। यद्यपि इस बावत् डिस्ट्रीब्यूशन मेमो में पूर्व से आदेश जारी है।

05. यदि कोई प्रतिभूति आवेदन–पत्र विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता का है और वह प्रतिभूति आवेदन–पत्र किसी अपर सत्र न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालय में निराकरण हेतु भेज दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में वह अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश उक्त प्रतिभूति आवेदन–पत्र स्वमेव अंतरित माना जावेगा।

06. यदि जमानत आवेदन पत्र से संबंधित कोई विशेष/सत्र प्रकरण किसी अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित/निराकृत हुआ हो अथवा जमानत आवेदनपत्र अंतरित होने के पश्चात यदि जमानत आवेदन पत्र भेजे गये

संबंधित न्यायालय से इस टीप के साथ आवेदन पत्र वापस सत्र न्यायालय को प्राप्त होता है कि संबंधित सत्र प्रकरण/विशेष प्रकरण अन्य अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय में लंबित है/निराकृत हुआ है, चाहे पूर्ववर्तीय या सह–अभियुक्त के आवेदन किसी अन्य न्यायालय द्वारा निराकृत किया गया हो, तो उक्त जमानत आवेदनपत्र जिस न्यायालय में सत्र प्रकरण/विशेष प्रकरण लंबित है या निराकृत हुआ है, उक्त न्यायालय में स्वमेव अंतरित होना माना जावेगा।

07. कण्डिका कमांक 01 से 6 की अवस्था के अनुसार पश्चात् शेष बचे **<u>प्रथम प्रतिभूति आवेदन–पत्र</u>** निम्न तालिका अनुसार दिवस के समक्ष अंकित विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश को विधिवत निराकरण हेतु स्वमेव अंतरित माने जावेंगे। यदि भेजे जाने वाले संबंधित विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश अवकाश पर अथवा न्यायालय रिक्त हो, तो उनके प्रथम प्रभार वाले न्यायाधीश एव0 यदि प्रथम प्रभार वाले न्यायाधीश भी अवकाश/रिक्त है, तो द्वितीय एवं यदि द्वितीय प्रभार वाले न्यायाधीश अवकाश/रिक्त है, तो तृतीय प्रभारी वाले न्यायाधीश के न्यायालय में निराकरण हेतु स्वमेव अंतरित माने जावेंगे एवं यदि तृतीय प्रभार वाले न्यायाधीश भी आवकाश/रिक्त हो तो तत्पश्चात् **(कार्यविभाजन पत्रक 2024 की प्रभारी अधिकारीगण की अनुसूची के अनुसार)** अंतिम प्रभारी के पदकम के उत्तरवर्ती कमांक के अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड को निराकरण हेतु स्वमेव अंतरित माने जावेंगे तथा यह प्रभार पदाकमानुसार कमागत होकर प्रभावी रहेगा।

क0	दिन	न्यायाधीश का नाम
01	सोमवार	श्री मनोज कुमार तिवारी(सीनि.) विशेष न्यायाधीश, भिण्ड
02	मंगलवार	श्री दिनेश कुमार खटीक, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,भिण्ड
03	बुधवार	श्री संजीव सिंघल, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,भिण्ड
04	गुरूवार	श्री मोहम्मद रजा, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,भिण्ड
05	शुक्रवार	श्री मनोज कुमार तिवारी (जूनि.) सप्तम् अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड
06	शनिवार	श्री मनोज कुमार तिवारी(सीनि.) विशेष न्यायाधीश, भिण्ड

08. **पूर्व में प्रतिभूति आवेदन–पत्र निराकृत करने वाले अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश इस स्थापना से स्थानांतरित हो गए है, तो उनके स्थान पर आने वाले विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदन पत्र का निराकरण किया जावेगा एवं पूर्ववर्तीय आवेदनपत्र से संबंधित यदि उक्त न्यायालय रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में कंडिका कमांक 7 की तालिका में दर्शित दिवस अनुसार प्रतिभूति आवेदन–पत्र का निराकरण किया जाएगा।**

<u>नोटः–</u> इस अवस्था पर स्पष्ट किया जाता है कि किसी जानकारी के अभाव में अथवा लिपिकीय त्रुटिवश उक्त निर्देश का पालन न हो पाने की उत्पन्न दशा में

संबंधित अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ऐसे आवेदनपत्र, सत्र न्यायालय को वापिस करेंगे तथा ऐसी आवेदनपत्र पूर्ववर्ती आवेदनपत्र को निराकृत अथवा लंबित रहने वाले अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश के न्यायालय को स्वमेव अंतरित माने जावेंगे।

09. केसडायरी/अभिलेख प्राप्ति पर ही संबंधित जमानत आवेदनपत्र स्वमेव अंतरित माना जावेगा।

10. उक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य परिस्थिति वाले प्रतिभूति आवेदन–पत्र विशेष न्यायाधीश (अ.जा./अ.ज.जा. अधि.) द्वारा एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके इंचार्ज न्यायाधीश को विधिवत निराकरण हेतु स्वमेव अंतरित माने जावेंगे।

11. उक्त कार्य व्यवस्था में आकस्मिक रूप से उत्पन्न परिस्थितियों में पृथक से विधि अनुसार आदेश पारित किया जावेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Sd

(राजीव कुमार अयाची)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भिण्ड (म0प्र0)

प्रतिलिपिः–

पृष्ठांकन कमांक–1434/सां.लि./2024 भिण्ड, दिनांक :–16/04/2024

01. विशेष न्यायाधीश, भिण्ड।
02 समस्त अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड/लहार/गोहद/मेंहगॉव
03. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ भिण्ड/लहार/गोहद/मेंहगॉव
04. लोक अभियोजक, जिला न्यायालय, भिण्ड की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

16/4/2024

(राजीव कुमार अयाची)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भिण्ड (म0प्र0)